न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 10/20 निर्णय दिनांकः– 06-02-2025
(जीसीएमएस संख्या 2020/00057)

1. देवकिशन खोलायत पुत्र श्री मोडाराम जाति सुथार निवासी धांधलों का बास, सुभाष क्लब के पास, नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. धुडी देवी पुत्री हनुमानराम जाति सुथार निवासी धांधलों का बास, सुभाष क्लब के पास, नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. रामदेव पुत्र हनुमानाराम जाति सुथार निवासी धांधलों का बास, सुभाष क्लब के पास, नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. कृष्णचंद पुत्र स्व श्री नथमल जाति सुथार निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. अशोक कुमार पुत्र स्व श्री नथमल जाति सुथार निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. गोविंद नारायण पुत्र स्व श्री नथमल जाति सुथार निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
4. श्रीमती शांति देवी धर्मपत्नी स्व धनराज जाति सुथार निवासी अनुपगढ मार्ग, छत्तरगढ जिला बीकानेर।
5. श्रीमती मंजूरानी पुत्री स्व धनराज पत्नी श्री श्याम सुन्दर लदरेचा निवासी 4 ई 394 जयनारायण व्यास नगर बीकानेर।
6. अनिल कुमार पुत्र स्व धनराज जाति सुथार निवासी अनुपगढ मार्ग, छत्तरगढ जिला बीकानेर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

8. भगवती देवी पत्नी श्री हनुमानाराम जाति सुथार निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09–01–2020
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री बहादुराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09–01–2020 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नापासर तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 64 तादादी 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 65 तादादी 5.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 तादादी 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 तादादी 1.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 137 तादादी 6.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 138 तादादी 0.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 141 तादादी 2.95 हेक्टर, खसरा नम्र 142 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 तादादी 4.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 1819/143 तादादी 1.90 हेक्टर कुल तादादी 23.95 हेक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसके विधिवत् विभजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अभिलिखित किया गया था कि " तहसीलदार बीकानेर को वादग्रस्त भूमि पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर ग्राम नापासर की संवत् 2059 से 2062 की जमाबन्दी में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा मृतक हनुमानराम का संयुक्त रूप से दर्ज है, को उनके हिस्से में आई भूमि यथासंभवा उनकी उपस्थिति में तथा उनके कब्जे की सहमति को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस, अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजित कर अलग खाते व लगान कायम कर उनके हिस्से की भूमियों के प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अलग–अलग रंगों में दर्शित करते हुए रास्तों

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय में 15 दिवस में भिजवाये जाने के प्रयास करें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रेषित किये जाने चाहिए थे, परन्तु संबंधित तहसीलदार द्वारा उपरोक्त निर्देशों के विपरीत जाकर पक्षकारों के कब्जे काश्त की स्थिति के अनुरूप विभाजन के प्रस्ताव तैया नहीं करते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 अवहेलना किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जबकि विभाजन के मामलों में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की वृहद पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में नियम 18 से 21 पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार करें। इस प्रकार अदालत मातहत का उक्त कृत्य माननीय राजस्व मण्डल की मंशा के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है क्योंकि विभाजन के मामलें में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स मौके के अनुसार सभी पक्षों के धारण की भूमि व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन हो सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत विभाजन के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा न्यायालय का ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकओं की तरफ करवाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन के प्राथमिक प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/वादी की आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी/गौर किये बिना एकतरफा तौर पर उक्त आपत्ति को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपना माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट्स को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा जारी डिक्री किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त फरमाये जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम नापासर तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 64 तादादी 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 65 तादादी 5.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 तादादी 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 तादादी 1.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 137 तादादी 6.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 138 तादादी 0.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 141 तादादी 2.95 हेक्टर, खसरा नम्र 142 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 तादादी 4.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 1819/143 तादादी 1.90 हेक्टर कुल तादादी 23.95 हेक्टर भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी अपीलांट्स/रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खाते की व कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित होने से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार थे तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के विधिवत विभाजन हेतु अदालत मातहत के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत नियमानुसार मौके की रिपोर्ट हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित आते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये किये गये है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के बाबत् विभाजन की डिक्री जारी करते हुए राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 पालना सुनिश्चित की गई है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की उक्त आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के धारण एवं कब्जे काश्त की भूमि का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं? अर्थात वादाधीन भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया गया है अथवा नहीं? इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित विभाजन के प्रस्ताव दिनांक 05–11–2018 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्ताव पर संबंधित तहसीलदार, (भू–अभिलेख) बीकानेर के हस्ताक्षर अंकित है, इसी प्रकार आराजी जैर के नजरी नक्शें पर भी तहसीलदार, बीकानेर के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिहस्ताक्षर अंकित नहीं होकर स्वयं की उपस्थिति में तैयार किये जाने परिलक्षित होते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की यह आपत्ति की आराजी जैर के विभाजन के समय नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स करते हुए रास्ते के आज्ञापक प्रावधान को भी विभाजन प्रस्ताव में शामिल करते हुए सभी सहखातेदारों को रास्ता उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम नापासर तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 64 तादादी 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 65 तादादी 5.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 103 तादादी 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 136 तादादी 1.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 137 तादादी 6.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 138 तादादी 0.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 141 तादादी 2.95 हेक्टर, खसरा नम्र 142 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 143 तादादी 4.39 हेक्टर, खसरा नम्बर 1819/143 तादादी 1.90 हेक्टर कुल तादादी 23.95 हेक्टर भूमि के बाबत् वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए विभाजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा उनकी आपत्ति के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी जैर के विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाये जाने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण में दिनांक 21–01–2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। जिसमें तहसीलदार, बीकानेर द्वारा अपने पत्र कमांक 6341 दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

05–11–2018 को न्यायलय हाजा के समक्ष प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है। उक्त प्रस्ताव पर आपत्ति पेश किये जाने पर संबंधित तहसीलदार को पुनः प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत् पत्र लिखे जाने पर तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त पक्षकारों को नोटिस द्वारा सूचित करने के उपरान्त स्वयं मौके पर जाकर दिनांक 10–09–2018 को प्रस्ताव तैयार किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पूर्व में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। उक्त आशय के संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा आराजी जैर के विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शें का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होंकर तैयार किया जाना जाहिर होता है तथा उक्त रिपोर्ट में सभी पक्षकारों के हक व हिस्से की भूमि के अनुरूप ही विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये जाने परिलक्षित होते है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि को लेकर वादीगण/प्रतिवादीगण के मध्य उनके हक व हिस्से की भूमि का विभाजन करते हुए अंतिम डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को लेकर उनके हक–हकूकों, उनके धारण की भूमि, उनके कब्जे काश्त की भूमि का किस प्रकार से ध्यान नहीं रखते हुए उनके विधिक अधिकारो का हनन किया गया। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को सहारा लेकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के धारण की भूमि को कम अथवा ज्यादा किया गया है या नहीं? एक दूसरे के कब्जे काश्त व धारण की भूमि ध्यान रखा गया है या नहीं? एवं विभाजन करते समय रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है या नहीं? अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर सहायक कलेक्टर, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09–01–2020 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 06-02-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर